656-दि०-19/7/13

सामान्य प्रशासन विभाग
नगर निगम, कानपुर

संख्या–1528/36–4–2013

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा।

लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2013

श्रम अनुभाग–4

विषयः– उत्तर प्रदेश स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव नगर विकास, उ0प्र0 शासन को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या–4395/पी0एस0एल0/2013 दिनांक 08 जुलाई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि आपके जनपदों में औद्योगिक श्रमिकों को रहने के लिए सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उनके रहने के लिए श्रम विभाग के स्वामित्व में आवास बनाये गये थे तथा उनका किराया बहुत कम निर्धारित किया गया था, ताकि श्रमिक उसे आसानी से जमा कर सकें। यह भी अवगत कराया गया था कि कई उद्योगों के बन्द होने से इन आवासों में रहने वाले लोग मूल आवंटी नहीं रहे तथा इनके स्थान पर उनके मृतक आश्रित, वारिसान तथा बहुत से लोग सिकमी किरायेदार के रूप में रहने लगे जिनमें से कुछ धनाड्य लोग भी सम्मिलित हैं।

Am (T)/C.T.O

श्रम विभाग द्वारा इतना कम किराया लिया जाता है जिससे विभाग गृह कर जमा नहीं कर सकता तथा इसके लिए बजट में भी कोई प्राविधान नहीं है। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–179 की व्यवस्थानुसार गृह कर की वसूली भवन में रह रहे आक्यूपायर से ही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

18/7
नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
2– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, रामपुर, मोदीनगर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस।

IT officer
कृ. इसे वेबसाइट पे अपलोड करें।

19.7.13
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर

आज्ञा से,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।